प्रेस विज्ञप्ति

कोल्हान एवं सारंडा क्षेत्र में सक्रिय भा0क0पा0 (माओ0) सदस्यों का झारखण्ड़ पुलिस एवं सी0आर0पी0एफ0 के समक्ष आत्मसमर्पण

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के निर्देशन में झारखण्ड पुलिस, कोबरा, के0रि0पु0 बल, झारखण्ड जगुआर एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने हेतु मुख्य धारा से भटके हुए नक्सलियों को पुनः मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आत्म समर्पण एवं पुनर्वास निति के तहत झारखण्ड पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसका परिणाम काफी सकरात्मक रहा है। अबतक भा0क0पा0 (माओ0) सहित अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई बड़े ईनामी नक्सली कमाण्डरों से लेकर दस्ता सदस्य झारखण्ड पुलिस एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के समक्ष आत्म समर्पण कर चुके है। भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के आंतरिक शोषण, भयादोहन एवं पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश के कारण कई नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे है।

झारखण्ड राज्य को नक्सल मुक्त करने, सुदूर गाँवों की जनता में सुरक्षा की भावना जगाने और विकास कार्यो को सुचारु रुप से चलाने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड राँची के निर्देशन में हर एक जिले में जिला बल, के0रि0पु0 बल, कोबरा व झारखण्ड जगुआर की सहायता से नक्सलियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सलियों के लिए आत्म समर्पण नीति के फायदों को भी विभिन्न माध्यमों से नक्सलियों तक पहुँचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला अन्तर्गत कोल्हान एवं सारंडा क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से प्रतिबंधित संगठन भा0क0पा0 (माओवादी) के ERB (Eastern Regional Bureau) का संचालन केन्द्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी उर्फ अनल, असीम मंडल, सुशांत उर्फ अनमोल, मेहनत उर्फ मोछू, अजय महतो उर्फ बुधराम, पिन्टु लोहरा, अश्विन, कांडे होनहागा एवं सागेन अंगरिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। इनके द्वारा विगत वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक विध्वंसक घटनाएं कारित की गई है। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु झारखण्ड पुलिस, झारखण्ड जगुआर, कोबरा एवं के0रि0पु0 बल की संयुक्त बलो का अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिलान्तर्गत वर्ष 2022 से लगातार संचालित अभियान के फलस्वरूप वर्ष 2022 से अबतक कुल 161 नक्सलियों को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वर्ष–2022 एवं 2023 में कुल 11 नक्सलियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया एवं भारी मात्रा में कुल 375 विस्फोटक, हथियार, कारतूस एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामान बरामद किया गया है। साथ ही नक्सलियों का स्थाई कैम्प ERB मुख्यालय, 08–10 अस्थायी कैम्प एवं 15 बंकर ध्वस्त किये है। चाईबासा जिलान्तर्गत उग्रवादी गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु उग्रवाद प्रभावित थाना क्षेत्र में आम जन के मन में उपजे सुरक्षा भाव को संधारित बनाये रखने के लिए कुल–16 नये सुरक्षा कैम्पों का भी अधिष्ठापन किया गया है।

इस कड़ी में भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के विरूद्ध संयुक्त बलों के द्वारा लगातार संचालित नक्सल विरोधी अभियान, संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर तथा प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भा0क0पा0 (माओ0) नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और पतिराम मांझी उर्फ अनल दा की टीम के सक्रिय एवं मारक दस्ता के सदस्य, कोल्हान् तथा सारंडा के सुदूर जंगल–पहाड़ी क्षेत्रों के चप्पे–चप्पे की जानकारी रखनेवालों निम्नलिखित सदस्य आज दिनांक 11.04.2024 को आत्मसमर्पण कर रहें है।

उल्लेखनीय है कि ये सभी सदस्य पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के स्थानीय निवासी है और भा0क0पा0(माओ0) उग्रवादियों के द्वारा इनको पूर्व में दस्ता में शामिल कराया गया था और इनके आत्मसमर्पण से झारखण्ड राज्य विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा अन्तर्गत माओवादियों की गतिविधि पर अंकुश लगेगा। इनसभी का आत्मसमर्पण स्थानीय भा0क0पा0(माओ0) दस्ते के लिए एक बहुत ही करारा प्रहार है। मुख्य रूप से मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और पतिराम मांझी उर्फ अनल दा एवं उनके अन्य शीर्ष नेता जिनके द्वारा स्थानीय लोगों का दोहन किया जाता है, उससे क्षुब्ध होकर भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के कुल 15 सदस्य आत्मसमर्पण कर रहे है, जिसमें से 01 नाबालिक भी शामिल है।

आज आत्मसमर्पण कर रहे भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्यों की विवरणी निम्न प्रकार है:–

1. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी प्रधान कोड़ा उर्फ देवेन कोड़ा उम्र करीब 45 वर्ष पे0 स्व0 दुरूवा कोड़ा ग्राम रेंगड़ा टोला गुटूसाई थाना टोन्टो जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–13/2021, दिनांक 01.06.2021, धारा 147/148/149/353 /307/324/326/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट0।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–01/2022, दिनांक 11.01.2022, धारा 147/148/149/333/353/307 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

III. टोंटो थाना काण्ड संख्या–39/2022, दिनांक 07.09.2022, धारा 147/148/149/353/307 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

IV. टोंटो थाना काण्ड संख्या–10/2023, दिनांक 17.03.2023, धारा 147/148/149/393 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

V. टोंटो थाना काण्ड संख्या–26/2023, दिनांक 02.06.2023, धारा 147/148/149/307/353/504/506 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

VI. टोंटो थाना काण्ड संख्या–30/2023, दिनांक 11.06.2023, धारा 307/34 भा0द0वि0, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

VII. टोंटो थाना काण्ड संख्या–33/2023, दिनांक 28.06.2023, धारा 147/148/149/307/353/120बी भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

VIII. टोंटो थाना काण्ड संख्या–34 / 2023, दिनांक 12.07.2023, धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 353 / भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

2. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी चंद्रोमोहन उर्फ चंद्रो अंगारिया उर्फ रोशन उम्र करीब 29 वर्ष पे0–स्व0 महेश अंगारिया, सा0 सासांगसाल थाना–गोईलकेरा जिला प0 सिंहभूम।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के गोईलकेरा थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I. गोईलकेरा थाना कांड सं0–26 / 20, दिनांक 29.07.2020 धारा 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

II. गोईलकेरा थाना कांड सं0–27 / 20, दिनांक 31.07.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 120बी / 121 / 121ए भा0द0वि0, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

III. गोईलकेरा थाना कांड सं0–33 / 20, दिनांक 03.09.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 120बी भा0द0वि0, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

IV. गोईलकेरा थाना कांड सं0–37 / 20, दिनांक 18.09.2020 धारा, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

V. गोईलकेरा थाना कांड सं0–45 / 20, दिनांक 08.11.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 120बी भा0द0वि0, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

VI. गोईलकेरा थाना कांड सं0–45 / 21, दिनांक 22.12.2021 धारा 147 / 148 / 149 / 364 / 302 / 120बी भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

VII. गोईलकेरा थाना कांड सं0–46 / 21, दिनांक 29.12.2021 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 435 / 120बी भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

3. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी पगला गोप उर्फ घासीराम गोप उम्र करीब 49 वर्ष पे0 बोनबाई गोप सा0 हुसीपी थाना टोंटो जिला पश्चिमी सिंहभूम।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के अलग–अलग थानों में दर्ज. निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–43 / 2023, दिनांक 16.08.23,धारा 147 / 148 / 149 / 120बी / 302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–42 / 2023, दिनांक 14.08.23, धारा 120बी / 121 / 121A / 122 / 147 / 148 / 149 / 325 / 353 / 307 / 302 भा0दवि0, 27 आर्म्स एक्ट, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट,10 / 13 / 16 / 18A / 18B / 19 UAP Act.

III. टोंटो थाना काण्ड संख्या–66 / 2023, दिनांक 09.11.23, धारा 120बी / 34 भा0द0वि0, 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 13 UAP Act.

IV. गोईलकेरा थाना काण्ड संख्या–05 / 2023, दिनांक 06.02.2023, धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 332 / 333 / 307 / 120बी0 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट, 3 / 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

V. गोइलकेरा थाना काण्ड संख्या–56 / 2023, दिनांक 01.11.2023 ,धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 324 / 326 / 307 / 120बी0 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट, 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

4. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी विजय बोयपाई उर्फ अमन बोयपाई उम्र करीब 23 वर्ष, पे0–सुरेश बोइपाई, सा0–बोयपाई सासांगसाल, कुइड़ा, टोला–श्रीजंगकोचा, थाना–गोईलकेरा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के अलग–अलग थानों में दर्ज काण्ड निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–43/2023, दिनांक 16.08.23,धारा 147/148/149/120बी/302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–42/2023, दिनांक 14.08.23, धारा 120बी/121/121A/122/147/148/149/325/353/307/302 भा0दवि0, 27 आर्म्स एक्ट, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10/13/16/18A/18B/19 UAP Act.

III. गोइलकेरा थाना काण्ड संख्या–56/2023, दिनांक 01.11.2023 ,धारा 147/148/149/353/324/326/307/120बी भा0द0वि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट, 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

IV. गोइलकेरा थाना काण्ड संख्या–59/2023, दिनांक 08.11.2023, धारा 147/148/149/353/120बी भा0द0वि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

5. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी गंगा राम पूर्ती उर्फ मोटका पूर्ति उम्र करीब 19 वर्ष, पे0–सिंनू पूर्ति, सा0–तुम्बाहाका, टोला पूर्ती टोला, थाना–टोन्टो, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–43/2023, दिनांक 16.08.23,धारा 147/148/149/120बी/302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–47/2023, दिनांक 10.09.23, धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

III. टोंटो थाना काण्ड संख्या–30/2023, दिनांक 11.06.23,धारा 307/34 भा0द0वी0, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 10/13 यू0ए0पी0एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

6. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी बोयो कोड़ा उम्र करीब 46 वर्ष पे0 स्व0 बिरसिंह कोड़ा सा0 रेंगड़ाहातु थाना टोंटो जिला पश्चिमी सिंहभूम।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–13/2021, दिनांक 01.06.2021, धारा 147/148/149/353/307/324/326/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–01/2022, दिनांक 11.01.22, धारा 147/148/149/333/353/307 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

7. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी जोगेन कोड़ा उम्र करीब 44 वर्ष पे0 गोमेया कोड़ा सा0 रेंगड़ाहातु थाना टोंटो जिला पश्चिमी सिंहभूम।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–13/2021, दिनांक 01.06.2021, धारा 147/148/149/353/307/324/326/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–01/2022, दिनांक 11.01.22, धारा 147/148/149/333/353/307 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

8. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी पेलोंग कोड़ा उर्फ नीशा कोड़ा, उम्र करीब 19 वर्ष पे0–सेलाय कोड़ा, पति–सोनु चम्पिया, सा0 रेंगड़ाहातु थाना–टोन्टो जिला पश्चिमी सिंहभूम।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–13/2021, दिनांक 01.06.2021, धारा 147/148/149/353/307/324/326/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–39/2022, दिनांक 07.09.2022, धारा 147/148/149/353/307 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।

9. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी सोनु चम्पिया, उम्र करीब 19 वर्षपे0–स्व0 तुरी चम्पियाए सा0 बाहदा थाना–छोटा नागरा जिला प0 सिंहभूम।

वर्ष–2017 से भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के लोकल गौरिल्ला स्कॉड (LSG) सदस्य रहे है।

10. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी रामजा पूर्ती उर्फ डुगूद पूर्ती उम्र करीब 49 वर्ष, पे0–स्व0 पाण्डू पूर्ती, सा0–तुंबाहाका, टोला–पूर्ती टोला, थाना–टोंटो, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थना में दर्ज कांड निम्न प्रकार हैः–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–30/2023, दिनांक 11.06.2023, धारा 307/34 भा0द0वी0, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 10/13 यू0ए0पी0एक्ट, 17 सी0एल0 एक0।

II. टोंटो थाना काण्ड संख्या–33/2023, दिनांक 28.06.2023, धारा 147/148/149/307/353/120बी भा0द0वी0, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

11. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी नाबालिक।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I. टोंटो थाना काण्ड संख्या–40/2023, दिनांक 07.08.2023, धारा 143/120बी भा0द0वि0, 10/13 यू0ए0पी0 एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

12. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी सोहन सिंह हेम्ब्रम, उर्फ सीनू उम्र करीब 24 वर्ष, पे0–स्व0 मोरन सिंह हेंब्रम, सा0–तुंबाहाका, टोला–बारूसाई टोला, थाना–टोंटो, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के टोन्टो थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I.टोंटो थाना काण्ड संख्या–40 / 2023, दिनांक 07.08.2023, धारा 143 / 120बी भा0द0वि0, 10 / 13 यू0ए0पी0 एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट, 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0।

13. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी डोरन चाम्पिया उर्फ गोलमाय उम्र करीब 23 वर्ष पे0 बुड़े चाम्पिया सा0 बोइपाइ सासांग थाना गोइलकेरा जिला प0 सिंहभूम।

वर्ष–2016–17 से भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सब जोनल कमिटी सदस्य रहे है।

14. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी सुशील उर्फ मोगा चाम्पिया उम्र करीब 50 वर्ष पे0 टोपो चाम्पिया ग्राम तितलीघाट थाना छोटानागरा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

क्रियावादी के विरूद्ध चाईबासा जिला के नोवामुण्डी थाना में दर्ज काण्ड़ निम्न प्रकार है–

I.नोवामुण्डी थाना काण्ड संख्या–32 / 2016, दिनांक 22.11.20216, धारा 17 / 18 सी0एल0ए0 एक्ट 17 / 18 यू0ए0पी0 एक्ट।

15. भा0क0पा0 (माओ0) संगठन के सदस्य क्रियावादी मनी चाम्पिया उम्र करीब 40 वर्ष पति सुशील उर्फ मोगा चाम्पिया ग्राम तितलीघाट थाना छोटानागरा जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ये अपने पति के साथ भा0क0पा0 (माओ0) दस्ता में सक्रिय सदस्य रही है।

द्वारा–मिडिया सेल,
पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड़, राँची